सं०सं०–1 / एस०के०अ०–03 / 2017– 55(1)90

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक– 31 / 10 / 2017

विषयः– श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को विपत्र कोड– 20–2210011100008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रू0 16,84,53,250/– (रुपये सोलह करोड़ चौरासी लाख तिरपन हजार दो सौ पचास) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–2121, दिनांक–13.09.2017 के आलोक में श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को विपत्र कोड–20–2210011100008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू0 16,84,53,250/– (रुपये सोलह करोड़ चौरासी लाख तिरपन हजार दो सौ पचास) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561/वि०(2) दिनांक 17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक 06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक 08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष– 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0008–श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर विपत्र कोड– 20–2210011100008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से की जाएगी ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

क्रमशः

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटनादेश द्वारा 0008.52.01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मति एवं रखरखाव के लिए भी राशि शामिल है।

9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

30/10/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/एस0के0अ0–03/2017– 551(1)90/स्वा0, पटना, दिनांक– 31/10/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/10/17
सरकार के विशेष सचिव

श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड– 20–2210011100008, को वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0008.01.01 वेतन	170246000	127684500	42561500	170246000	0
0008.01.02 विशेष वेतन	0	0	0	0	0
0008.01.03 जीवन यापन भत्ता	223023000	167267250	55755750	223023000	0
0008.01.04 मकान किराया भत्ता	18707000	14030250	4676750	18707000	0
0008.01.06 चिकित्सा भत्ता	1580000	1185000	395000	1580000	0
0008.01.07 अन्य भत्ता	4957000	3717750	1239250	4957000	0
योग– वेतन एवं भत्ते	**418513000**	**313884750**	**104628250**	**418513000**	**0**
0008.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति	200000	100000	100000	200000	0
0008.11.01 यात्रा व्यय	300000	150000	150000	300000	0
0008.13.01 कार्यालय व्यय	10000000	5000000	5000000	10000000	0
0008.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	500000	250000	250000	500000	0
0008.13.03 दूरभाष	300000	150000	150000	300000	0
0008.13.04 विद्युत प्रभार	15000000	15000000	0	15000000	0
0008.13.05 विधि प्रभार	100000	100000	0	100000	0
0008.13.06 वर्दी / पोशाक	1000000	500000	500000	1000000	0
0008.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	150000	75000	75000	150000	0
0008.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	100000	50000	50000	100000	0
0008.20.03 प्रशिक्षण व्यय	100000	50000	50000	100000	0
0008.21.01 सामग्री एवं पूर्त्तियाँ	10000000	5000000	5000000	10000000	0
0008.21.02 दवा भण्डार	85000000	63750000	21250000	85000000	0
0008.21.03 आहार / पथ्य	35000000	26250000	8750000	35000000	0
0008.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	10000000	0	0	0	10000000
0008.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0	0	0
0008.28.02 संविदा सेवायें	50000000	37500000	12500000	50000000	0
0008.34.01 छात्रवृत्ति / वजीफा	15000000	15000000	0	15000000	0
0008.52.01 मशीनें एवं उपस्कर –कार्यालय	20000000	10000000	10000000	20000000	0
कुल योग :–	**671263000**	**492809750**	**168453250**	**661263000**	**10000000**

(रुपये सोलह करोड़ चौरासी लाख तिरपन हजार दो सौ पचास)

55(1)90
31-10-17

30/10/17

सरकार के विशेष सचिव